

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी
पत्रांक 110 / 33-1 दिनांक, झांसी, जुलाई 10 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:- 765 के०वी० डी०सी० उरई -अलीगढ़ पैकेज टी०ई० 06 पारेषण लाईन के निर्माण में प्रस्तावित जालौन वन प्रभाग की 0.268 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मार्ग पटरियों पर खड़े प्रस्तावित 05 वृक्षों पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका कार्यालय पत्रांक 2399/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/ट्रांस/21318/2016 दिनांक 24.05.2017।

महोदय,

उपरोक्त सदर्मित पत्र जो उप वन संरक्षक, जालौन सा०वा० प्रभाग उरई को सम्बोधित है से प्राप्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर उप वन संरक्षक, जालौन सा०वा० प्रभाग उरई उनके द्वारा पत्रांक 79/33-1 दिनांक 07.07.2017 से इस कार्यालय को संशोधित प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

अतः आपके कार्यालय से प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में संलग्न कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक:-1. संशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में।

2. उप वन संरक्षक, जालौन के पत्र की छायाप्रति

भवदीय

(अशोक कुमार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या-

समदिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप वन संरक्षक, जालौन सा०वा० प्रभाग उरई उनके द्वारा पत्रांक 79/33-1 दिनांक 07.07.2017 के कम।
2. मुख्य प्रबन्धक (उपकेन्द्र लाइन निर्माण) पावर ग्रिड उरई म०न० 3461 क्षीर सागर बिल्डिंग डा० खट्टर विलेनिक के सामने पाटेल नगर उरई को इस आशय से प्रेषित की कृपया अपने कार्यालय के किसी भिन्न अधिकारी को इस कार्यालय से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त कर नोडल अधिकारी कार्यालय लखनऊ में प्रस्तुत कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे।

(अशोक कुमार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

कार्यालय उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उरई।

पत्रांक - 79 / 33-1 / उरई, दिनांक जुलाई 07 2017।

सेवा में

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,

बुन्देलखण्ड वृत्त उ०प्र० झांसी।

विषय:-

765 के०वी० डी०सी० उरई -अलीगढ़ पैकेज टी०ई० 06 पारेषण लाइन के निर्माण में प्रस्तावित जालौन वन प्रभाग की 0.268 हे० संरक्षित वन भूमि के गैवानिकी प्रयोग एवं मार्ग पटरियों पर खड़े प्रस्तावित 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :-

आपका पत्रांक 4707/33-1 दिनांक 25.05.2017।

महोदय,

उक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के कम में दिये गये निर्देशानुसार प्रस्ताव में लगी आपत्तियों का निस्तारण नियमानुसार प्रेषित है:-

1. प्रस्तावित वृक्षों के वैज्ञानिक नाम अंकित कर दिया गया है।
2. वन विभाग उ०प्र० शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गयी 18 मानक शर्तों पर पर उप वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न कर दिया गया है।
3. आनलाइन भाग-2 में जी०ओ० रिफरेंस मैप एवं के०एम०एल० सही कर अपलोड कर दी गयी है।
4. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल में चिह्नित 1:50000 माप का मानचित्र आनलाइन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है।
5. 765 के०पी०डो०सी० उरई से अलीगढ़ एवं 400 के०वी०डी०सी० उरई-उरई लाइन के प्रावलनों की धनराशि अलग अलग क्षेत्रफल सहित अंकित कर दी गयी है।
6. एन०पी०वी की धनराशि के भुगतान की वचनवद्धता को उप वन संरक्षक से प्रमाणित कर अपलोड कर दिया गया है।
7. ईको क्लास के अनुसार एन०पी०वी० की गणना को उप वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न कर दिया गया है।
8. भूमि स्वामित्व वाले (लो०नि०वि०) का अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न कर दिया गया है।
9. वन स्वरूप प्रमाणपत्र संलग्न कर दिया गया है।
10. सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने सम्बन्धी प्रमाणपत्र संलग्न कर दिया गया है।
11. आनलाइन भाग-1 एवं हार्डकापी भाग-1 को सही कर संलग्न कर दिया गया है।
12. प्रस्ताव के हार्ड कापी भाग-2 में हरियाली घनत्व अंकित कर दिया गया है।
13. लीज अवधि प्रमाणपत्र को प्रथक कर दिया गया है।
14. वैकल्पिक भूमि प्रमाणपत्र पर प्रयोक्ता अभिकरण के हस्ताक्षर कर दिया गया है।

उपरोक्त कमियों का निराकरण कर पुनः प्रस्ताव चार-चार प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(बी०आर०/अहिरवार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

जालौन सा०वा०, वन प्रभाग उरई।

पृ०सं०-

समदिनांक।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- मुख्य प्रबंधक (उपकेंद्र/लाइन निर्माण) पावर ग्रिड उरई को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव की चारों प्रतियां लेकर सम्बन्धित को वन संरक्षक बुन्देलखण्ड वृत्त झांसी के कार्यालय से सम्पर्क कर अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(बी०आर० अहिरवार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

जालौन सा०वा०, वन प्रभाग उरई।